बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(157)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

I/निगरानी/पन्ना/भू०रा०/2017/3260

श्रीमती दिलहर कुमारी पत्नी स्व0श्री मानवेन्द्र सिंह जू देव उम्र लगभग 72 वर्ष निवासी राजमंदिर पैलेस पन्ना, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) ———————— पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

01. राघवेन्द्र सिंह पिता स्व0श्री मानवेन्द्र सिंह जू देव उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी राज मंदिर पैलेस पन्ना, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)

02. सरकार मध्य प्रदेश ———————— पुनरीक्षणग्रहीतागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/अ-21/वर्ष 2013-14 आदेश दिनांक 05.06.2017 जिसके द्वारा भूमि खसरा नं0 नया 6 रकवा 1.07 हे0 स्थित ग्राम मडला, तहसील पन्ना, जिला पन्ना मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया ।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है :-

तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ने प्रश्नगत आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / पन्ना / भू.रा. / 2017 / 3260

श्रीमती दिलहर कुमारी विरूद्ध राघवेन्द्र व सरकार म.प्र.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला—पन्ना के प्र.क्र. 15 / अ—21 / 2013—2014 में पारित आदेश दिनांक 05—06—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	